—:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

Tel No.: 232230 E-mail : dfokabirdham@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 2721 कवर्धा, दिनांक :— 29 / 11 / 2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :— कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल, अंतर्गत वन सरंक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गेर वानिकी उपयोग हेतु **Telesonic Network Limited** द्वारा **4G OFC Cable Line Banjari to Bodla Village in Kawardha Forest Division** हेतु क्षेत्रफल 0.536 हे. पंजीयन क्र. (FP/CG/OFC/154845/2022) बाबत् ।

संदर्भ :— अपर मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छ0ग0रायपुर पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध–ए / 115–918 / 2573 दिनांक 21.11.2023 ।

——✡✡✡——

निवेदन है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निम्न बिन्दुओं के आधार पर लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है :—

बिंदु क्र.	आपत्ति का विवरण	आपत्तियों का निराकरण
1	प्रस्तावित प्रकरण में Form-A (Part-II) के कॉलम नम्बर–15 में अपलोड प्रपत्र में बिन्दु क्रमांक– 10 में स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। जबकि .kml जांच मे प्रकरण भोरमदेव अभ्यारण्य के 10 कि.मी. के क्षेत्र अंतर्गत दर्शित है। सुधार कर अपलोड करें।	प्रस्तावित क्षेत्र में OFC केबल लाईन बिछाने कार्य Telesonic Network Limited द्वारा किया जाना है जो कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं आता है किन्तु, आवेदित क्षेत्र भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारय की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. सीमा के अंतर्गत आता है। ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	Form - A (Part-II) के कॉलम नम्बर –16 में अपलोड भाग–2 के बिन्दु क्रमांक–5 में वन की वैधानिक स्थिति वनमंडल कवर्धा द्वारा राजस्व वनभूमि लेख किया गया है परंतु प्रकरण में राजस्व वन भूमि शामिल नहीं है। भाग–2 सुधार कर पुनः अपलोड कराया जाना होगा।	Form - A (Part-II) के कॉलम नम्बर –16 में अपलोड भाग–2 के बिन्दु क्रमांक–5 में वन की वैधानिक स्थिति वनमंडल कवर्धा द्वारा राजस्व वनभूमि लेख किया गया है, परंतु प्रकरण में राजस्व वन भूमि शामिल नहीं है। अतः जिसे भाग–2 में सुधार कर पुनः ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	Form - A (Part-II) के कॉलम नम्बर –6 में हरियाली का घनत्व भी निरंक लेख किया गया है। जबकि ऑनलाईन में 0.5 घनत्व दिखा रहा है। इस हेतु सुधार आवश्यक है।	Form - A (Part-II) के कॉलम नम्बर –6 में हरियाली का घनत्व निरंक बताया गया था जिसे सुधार कर 0.5 घनत्व कर लिया गया है। जिसे ऑनलाईन अपलोड़ कर दिया गया है।
4	प्रपत्र–4 के बिन्दु क्रमांक (vii) में रोजगार का सृजन निरंक लेख किया गया है, परंतु रोजगार विवरण आवेदन फार्म आवेदक द्वारा दिया गया है। प्रपत्र–4 सुधार कर पुनः अपलोड कराया जावे।	प्रपत्र–4 के बिन्दु क्रमांक (vii) में रोजगार का सृजन निरंक लेख किया गया था जिसे रोजगार का सृजन–आवश्यकतानुसार । सुधार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार लगायी गई आत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेब साइट में parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर अनुशंसा सहित प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

सहपत्र :– प्रस्ताव 04 प्रतियों में

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल, कवर्धा

पृ.क्र. / तक.अधि. / 2722 कवर्धा,दिनांक :– 29 / 11 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छ0ग0रायपुर पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध–ए / 115–918 / 2573 दिनांक 21.11.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. Telesonic Networks Limited.3rd & 4th Floor, Scheme No. 54, A.B. Road, Metro Towers, Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

FORM -IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरेः –	
i.	उन प्रस्तावों तथा पारियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है	महाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित है। जिसमे कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. तथा राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.536 हेक्टर आवश्यक है।
ii.	अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्धारा प्राप्त किया जाना है ,जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नही हो) –	आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक **कुल रकबा योग :– 0.536 हेक्टर**
iii.	परियोजना की कुल लागत–	27 लाख
iv.	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य ,तथा इसके लिये वैकल्पिक स्थानो की जॉच की गई उनको दर्शाते हुऐ और नामंजूर करने के कारण बताएं जाये –	कबीरधाम् जिले के कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. के किनारे राईट ऑफ–वे (Row) अंतर्गत 4जी ऑप्टिकल फायवर केबल बिछाने हेतु मांग की जा रही वनभूमि सड़क राईट– ऑफ–वे के अंतर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वनभूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी। अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वनभूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी।
v.	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ –	कबीरधाम् जिला के निकटवर्ती क्षेत्र घने वन एवं पहाड़ियों से आच्छादित है तथा खनिज संपदा से संपन्न है। इन क्षेत्रो में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से लोगो के जीवन शैली में सुधार होगा तथा शासकीय राजस्व में भी वृद्धि होगी।
vi.	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी –	कबीरधाम् जिला के अंतर्गत बंजारी से बोड़ला के आसपास ग्रामवासी
vii.	सृजित रोजगार –	आवश्यकतानुसार ।
2	**परियोजना स्कीम का स्थान :–**	
i.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश –	छत्तीसगढ़
ii.	जिला –	कबीरधाम
iii.	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट –	संलग्न है।
3	**मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा–**	आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक **कुल रकबा – 0.536 हेक्टर**

4	**शामिल वनभूमि का ब्यौरा–**	
i.	वन की वैधानिक स्थिति (नामतःआरक्षित / संरक्षित / अवर्गीकृत आदि)–	आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक **कुल रकबा – 0.536 हेक्टर**
ii.	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा –	लागु नही है।
iii.	वनस्पति की संघनता –	0.5
iv.	वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार –	आवश्यक नहीं है।
v.	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रुप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नही–	आवश्यक नहीं है।
vi.	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य प्रकृति आरक्षित जीव मंडल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हॉ तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें। (मुख्य वन जीव अभिरक्षण की विशिष्ट टिप्पणीयों को सलंग्न करें)	कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु परिक्षेत्र कवर्धा का हिस्सा है, ब्यौरा निम्नानुसार है :– आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक **कुल रकबा – 0.536 हेक्टर**
vii.	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा–	ओ.एफ.सी. केबल को भूमिगत बिछाना है। 0.536 हेक्टर भूमि का उपयोग की जानी है। आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक **कुल रकबा – 0.536 हेक्टर**
viii.	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुलर्भ / संकट ग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों की प्रजातियां–	नही है।
ix.	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है ?	नही है।
x.	प्रस्तावित क्षेत्र अन्य किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है ?	नही है।
5	**परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा**	
i.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
ii.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
iii.	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या–	निरंक
iv.	विस्तृत पुनर्वास योजना–	निरंक
6	**क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरा–**	
i.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र, अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी हिस्से की संख्या प्रत्येक हिस्सो का आकर।	आवश्यक नही है।

ii.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किय गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं का दर्शाने वाला मानचित्र	आवश्यक नही है।
iii.	रोपण की जाने वाली प्रजातियो क्रियान्वयन एजेंसी समय सूची ढॉचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम	निरंक
iv.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय लागत	निरंक
v.	वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र कि उपर्युक्ता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाये जो की उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे की श्रेणी का अधिकारी न हो)	निरंक
vi.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	निरंक
vii.	पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल परिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये	निरंक
	a. परिषण लाइन की कुल लम्बाई	निरंक
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई	निरंक
	c. मार्ग का अधिकार	निरंक
	d. निर्मित किये जाने वाले टॉवरों की संख्या	निरंक
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टॉवरों की संख्या	निरंक
	f. पारेषण टॉवरो की ऊंचाई	निरंक
7	**सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए –**	आवश्यक नही है।
i.	कुल कैचमेंट क्षेत्र	निरंक
ii.	कुल कमाण्ड क्षेत्र	निरंक
iii.	कुल जलाशय स्तर	निरंक
iv.	उच्च बाढ स्तर	निरंक
v.	न्यूनतम प्राप्ति स्तर–	निरंक
vi.	परियोजना के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागाह भूमि, मानव आबादी तथा अन्य)–	निरंक
vii.	उच्च बाढ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	निरंक
viii.	पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र	निरंक
ix.	पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	निरंक
x.	पूर्ण जलाशय का स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़े परियोजनाओं के लिए)	निरंक
xi.	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र	निरंक

xii.	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना–	निरंक
xiii.	कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिए निधियों की उपलब्धता के बारे में–	निरंक
8	**सड़क/रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे–**	आवश्यक नही है।
9	**केवल सड़क/लाईनों के प्रस्तावों के लिए–**	आवश्यक नही है।
i.	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई ,चौड़ाई और वनक्षेत्र	निरंक
ii.	सड़क की कुल लम्बाई–	निरंक
iii.	पहले बनाई जा चूंकि सड़क की कुल लम्बाई–	निरंक
10	**खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिए)**	आवश्यक नही है।
i.	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और आवश्यक वनक्षेत्र	आवश्यक नही है।
ii.	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि –	आवश्यक नही है।
iii.	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	आवश्यक नही है।
iv.	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन–	आवश्यक नही है।
v.	खनन कार्यो की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	आवश्यक नही है।
vi.	चरणबद्ध सुधार योजना –	आवश्यक नही है।
vii.	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान–	आवश्यक नही है।
viii.	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें–	आवश्यक नही है।
ix.	नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या–	आवश्यक नही है।
x.	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल–	आवश्यक नही है।
	a. खनन–	आवश्यक नही है।
	b.खनिज/कच्चे धातु का भण्डारण–	आवश्यक नही है।
	c.अधिभार को जमा करना–	आवश्यक नही है।
	d.औजारों एवं मशीनों का भण्डारण–	आवश्यक नही है।
	e.भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नही है।
	f. शहर, आवास, कॉलोनियां–	आवश्यक नही है।
	g. सड़क/रेल्वे मार्ग/राज्य मार्ग का निर्माण–	आवश्यक नही है।
	h. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नही है।
xi.	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किये जाने के क्या कारण है–	आवश्यक नही है।
xii.	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–	आवश्यक नही है।
xiii.	बारहमासी नदियों के मार्गो राष्ट्रीय राजमार्गो, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वो के खनन की दूरी–	आवश्यक नही है।

xiv.	पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (ऊपरी मृदा) के भण्डार की प्रक्रिया	आवश्यक नही है।
xv.	भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	आवश्यक नही है।
11	लागत लाभ विश्लेषण–	
12	**क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नही) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गए है (हा/नहीं)**	आवश्यक नही है।
13	**क्या अधिनियम का उंल्लघन करते हुये कोई कार्य किया गया है,(हां/नहीं) यदि हां तो –**	आवश्यक नही है।
i.	शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे–	आवश्यक नही है।
ii.	अधिनियम के उंल्लघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी–	आवश्यक नही है।
iii.	गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही–	आवश्यक नही है।
iv.	क्या अभी भी अधिनियमों का उंल्लघन करते हुए कार्य किया जा रहा है–	आवश्यक नही है।
14	**कोई अन्य सूचना–**	आवश्यक नही है।
15	**संलग्न किये गये प्रमाण पत्रो/दस्तावेजों के ब्यौरे–**	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है।
16	**निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात–**	कवर्धा डिवीज़न बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियो और पिछड़े समुदायो के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा.
i.	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद–	इस प्रकरण में लागू नही है।
ii.	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	इस प्रकरण में लागू नही है।
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव–	
a	ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति	ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
b	आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका	संचार के साधन बढ़ने से आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका में उत्तरोतर वृद्धि होगी
iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक वन विभाग की विशिष्ट टिप्पणी	आवश्यक नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा आवश्यक वनभूमि की मॉग न्यूनतम है।

(देवैंद्र अरोड़ा)
टेलीसेनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला–कबीरधाम (छ0ग0)

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–2

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक–**FP/CG/OFC/154845/2022**

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कबीरधाम
(iii)	वनप्रभाग	कवर्धा
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.536 हेक्टेयर
(v)	वन वैधानिक स्थिति	आरक्षित, संरक्षित
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.एफ. आर. एल.–2 मी. पर परिगणना और एफ. आर. एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यक नहीं है।
(viii)	भू–क्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	आवश्यक नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वनक्षेत्र से गुजर रही है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाये)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/ संकटान्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारंपरिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, तो दें।	हॉ, न्यूनतम है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गयाहै। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन	नहीं, कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

4	प्रति पूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	आवश्यक नहीं है।
	(i) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	आवश्यक नहीं है।
	(ii) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र।	आवश्यक नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि।	आवश्यक नहीं है।
	(iv) प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यक नहीं है।
	(v) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जायें)	आवश्यक नहीं है।
5	जिला वनसंरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	आवश्यक नहीं है।
6	विभाग/जिला प्रोफाईल	–
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	– 4447.05 वर्ग कि.मी.
	(ii) जिले का वनक्षेत्र	– 1588.30 वर्ग कि.मी.
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	– 19 प्रकरण 1206.651 हे.
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक (क) दण्ड के रूप में प्रति पूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	– 905.74 हे. 184.00 हे.
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	– 905.74 हे. 184.00 हे.
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप–वनसंरक्षक की विशेष सिफारिश।	अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

स्थान : कवर्धा

(देवेंद्र अरोड़ा)
टेलीसेनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

(चूड़ामणि सिंह) भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला–कबीरधाम (छ0ग0)

प्रपत्र –03

वन संरक्षण अधिनियम ,1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ.का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	महाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित हैं। जिसमें कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे.,संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 हे.		
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.)		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	0.536 हे.		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		कबीरधाम	कवर्धा	बंजारी से बोड़ला
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण :–	वनखण्ड	कक्ष/खसरा क्रमांक	आवेदित रकबा (हे. में)
	क. आरक्षित वनभूमि	बंजारी	RF 60	0.056
		बंजारी	RF 61	0.112
		बंजारी	RF 63	0.008
		बंजारी	RF 64	0.017
		बंजारी	RF 65	0.153
		योग :–		**0.346**
	ख. संरक्षित वनभूमि	चोरभट्टी	PF 313	0.097
		बोड़ला	PF 315	0.093
		योग :–		**0.190**
	ग. राजस्व वनभूमि	—	—	**0.000**
		कुल योग :–		**0.536 ha.**
6	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवेदित क्षेत्र मिश्रित वन है, प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट ऑफ–वे सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है।		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट–ऑफ–वे के सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है। उक्त कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है, अतः वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।		
8	आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	सामान्य है।		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी.ध्वन मार्ग आदि)से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	—		
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान,अभ्यारण, बायोस्फेयर	प्रस्तावित क्षेत्र भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं है किन्तु, आवेदित क्षेत्र भोरमदेव वन्यजीव		

	रिजर्व,प्राकृतिक झील/ वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेंत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां,तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	अभ्यारण्य की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत आता है।
11	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लघंन किया गया है या नहीं? यदि हां,तो संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं किया गया है।

प्रमाण–पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :– परिक्षेत्र कवर्धा
दिनांक :– 05/10/2023

(चूड़ामणि सिंह)भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला–कबीरधाम (छ0ग0)